रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एस.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 3
PART I—Section 3

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 23, 1987/चैत्र 2, 1909
No. 1] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 23, 1987/CHAITRA 2, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1987

संकल्प

सं. 1 (अ) :-- सशस्त्र सेनाओं के अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों के संबंध में चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय रक्षा मंत्रालय के 4 अक्तूबर, 1986 के संकल्प सं. 1-अ में अभिमुखित किए गए थे। सरकार ने अब कमीशन प्राप्त अफसरों की परिलब्धियों और भत्तों की संरचना के संबंध में आयोग की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और यह निर्णय किया है कि इस के संबंध में आयोग की सिफारिशें सामान्यतः निम्नलिखित संशोधन करके स्वीकार की जाएंगी :--

I. वेतनमान

(1) ब्रिगेडियर (सेना चिकित्सा कोर, सेना दन्त चिकित्सा कोर और रिमाउण्ट पशु चिकित्सा कोर) (आर बी सी) (अफसरों सहित, लेकिन सैन्य परिचर्या सेवा अफसरों को छोड़कर) और नौसेना तथा वायुसेना में समकक्ष रैंक तक के अफसरों के लिए एकीकृत वेतनमान 2300-100-3900-150-4200-व.रो. 150-5100 रुपये होगा। एकीकृत वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त रैंक वेतन इस प्रकार देय होगा :-

रैंक	रैंक वेतन की राशि (रु. प्रतिमाह)
कैप्टन और समकक्ष	200
मेजर और समकक्ष	600
ले. कर्नल (चयन) और समकक्ष	800
कर्नल और समकक्ष	1000
ब्रिगेडियर और समकक्ष	1200

(2) सेना चिकित्सा कोर में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त अफसरों का वेतन 2600 रुपये के स्तर से शुरू होगा; कैप्टन के रूप में नियुक्त अफसरों का वेतन 2700 रु. से शुरू होगा। सेना दन्त चिकित्सा कोर और रिमाउण्ट पशु चिकित्सा कोर में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त अफसरों का वेतन 2600 रुपये से शुरू होगा।

(3) लेफ्टिनेंट जनरल और समकक्ष -7300-100-7600 रुपये ।

(4) सैन्य परिचर्या सेवा में कर्नल के रैंक तक के अफसरों का एकीकृत वेतनमान 2200-100-4200-व.रो.-100-4500 रुपये होगा। नर्सिंग में डिग्री धारक अफसरों का वेतन 2300 रु. से शुरू होगा और डिप्लोमा धारकों का वेतन 2200 रुपये से शुरू होगा। ब्रिगेडियर का वेतनमान 4600-100-5000 रु. होगा और मेजर जनरल का वेतनमान 5100-150-5700 रु. होगा। सैन्य परिचर्या अफसरों के लिए कोई रैंक वेतन नहीं होगा।

II. अन्य मामलों से संबंधित सिफारिशें

1. (i) यह निर्णय किया गया है कि अवरुद्धता वेतनवृद्धि की योजना को, जिसकी वेतन आयोग ने सिफारिश की है, कतिपय शर्तों के अधीन रक्षा सेवाओं के उन अफसरों पर लागू किया जाए जिनका संशोधित वेतनमान में अधिकतम वेतनमान 6700 रु. से अधिक नहीं है।

(ii) वेतन निर्धारण, भत्तों की स्वीकृति, प्रभावी होने की तारीख आदि से संबंधित आयोग की सिफारिशों को अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों के संबंध में स्वीकृत सुधारों को, जहां कहीं व्यवहार्य हो, सैन्य अफसरों पर लागू करने के बाद सामान्यतः स्वीकार कर लिया जाएगा।

2. मुद्रा स्फीतिकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार यह आशा करती है कि सेना अफसर उपर्युक्त निर्णयों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली मार्च, 1986 के बाद की अवधि के दौरान वेतन की बकाया राशि को भी अपनी भविष्य निधि में स्वेच्छापूर्वक विशेष तौर पर जमा कर देंगे।

3. सैन्य अफसरों के संबंध में आयोग की विभिन्न सिफारशों पर सरकार द्वारा तदनुसार लिए गए निर्णय इस संकल्प के साथ संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

4. आयोग द्वारा की गई जो सिफारिशें अनुबंध में शामिल नहीं हैं, उन पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है और उनके संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों को अलग से अधिसूचित कर दिया जाएगा।

वी. एन. बहादुर, संयुक्त सचिव

सशस्त्र सेना अफसरों के संबंध में चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों और उन पर सरकार के निर्णयों को दर्शाने वाला विवरण (कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े वेतन आयोग की रिपोर्ट के अध्यायों और पैराग्राफों से संबंधित हैं)

क्रम सं	वेतन आयोग की सिफारिश	सरकार का निर्णय
1	वेतन संरचना –ब्रिगेडियर और समकक्ष रैंक तक के सैन्य अफसर	
	(क) एकीकृत वेतनमान –तीनों सेनाओं में सेना चिकित्सा कोर, सेना दन्त चिकित्सा कोर और रिमाउण्ट पशु चिकित्सा कोर के विशिष्ट संवर्गों के अफसरों सहित ब्रिगेडियर और समकक्ष रैंक के सभी अफसरों के लिए 2300-100-4200-व.रो-100-5000 रु. एकीकृत वेतनमान की सिफारिश की जाती है। (28.12 और 28.14)	(क) निम्नलिखित सुधार करके स्वीकार कर ली गई :- 2300-100-3900-150-4200 व.रो.-150-5100 रुपये
	(ख) रैंक वेतन—एकीकृत वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त, थलसेना के अफसरों और अन्य सेवाओं में उनके समकक्ष अफसरों को निम्नलिखित रैंक वेतन दिए जाएं :—	(ख) निम्नलिखित सुधार करके स्वीकार कर ली गई :-

रैंक	रैंक वेतन की राशि (रु. प्रतिमाह)	रैंक	रैंक वेतन की राशि (रु. प्रतिमाह)
1. कैप्टन और समकक्ष	200	कैप्टन और समकक्ष	200
2. मेजर और समकक्ष	400	मेजर और समकक्ष	600
3. ले. कर्नल (चयन) और समकक्ष	600	ले. कर्नल (चयन) और समकक्ष	800
4. कर्नल और समकक्ष	800	कर्नल और समकक्ष	1000
5. ब्रिगेडियर और समकक्ष	1200	ब्रिगेडियर और समकक्ष	1200
नौसेना में कैप्टन, उस रैंक में तीन वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद ब्रिगेडियर के लिए अनुशंसित किया गया 1200 रु. प्रतिमाह का रैंक वेतन आहरित करेगा। (28.13)			

क्रम सं.	वेतन आयोग की सिफारिश	सरकार का निर्णय

(ग) सेना चिकित्सा कोर, सेना दन्त चिकित्सा कोर और रिमाउण्ट पशु चिकित्सा कोर में भर्ती नए अफसरों का वेतन :

सेना चिकित्सा कोर, सेना दन्त चिकित्सा कोर और रिमाउण्ट पशु चिकित्सा कोर में भर्ती नए अफसरों को एकीकृत वेतनमान में वेतन इस प्रकार दिया जाए :—

	सेना चि. कोर	सेना दंत चि. कोर	रि. पशु चि. कोर
1. इन्टर्न	2500 रु.	2400 रु.	2400 रु.
2 रजिस्ट्रार	2600 रु.	2500 रु.	2500 रु.

(28.19)

(ग) सेना चिकित्सा कोर, सेना दंत चिकित्सा कोर और रिमाउण्ट पशु चिकित्सा कोर में भरती नए अफसरों का वेतन इस प्रकार होगा :—

	सेना चि. कोर	सेना दंत चि. कोर	रि. पशु चि. कोर
*लेफ्टिनेंट	2600 रु.	2600 रु.	2600 रु.
कैप्टन	2700 रु.	—	—

*(सेना दंत चिकित्सा कोर और रिमाउण्ट पशु चिकित्सा कोर में पंजीकृत चिकित्सकों को लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन दिया जाता है)

(घ) दक्षतारोध का विनियमन :

गैर-चयन शाखा में शामिल अफसरों के लिए आवधिक पुनरीक्षा की जानी चाहिए ताकि उनमें से ऐसे अफसरों, जो और आगे उपयोगी न हों, को सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु तक एकीकृत वेतनमान में बने रहने की अनुमति न दी जाए। सरकार को चयन प्रक्रिया और अफसरों की समय-पूर्व सेवानिवृत्ति के बारे में मौजूदा नियमों की समीक्षा करनी चाहिए ताकि दक्षतारोध के स्तर पर जो अफसर अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं, उन्हें सेवा में न बनाए रखा जाए।

(28.15)

(घ) स्वीकार कर ली गई।

(ङ) चयन ग्रेडों को समाप्त करना :

मेजर और समकक्ष तथा लेफ्टिनेंट कर्नल और समकक्ष रैंकों में मौजूदा चयन ग्रेडों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

(28.14)

(ङ) स्वीकार कर ली गई।

2. मेजर जनरल और समकक्ष तथा इससे उच्च स्तर के अफसरों के लिए वेतनमान :

(क) मेजर जनरल और समकक्ष—5900-200-6700 रु.

(28.16)

(क) स्वीकार कर ली गई।

(ख) लेफ्टिनेंट जनरल और समकक्ष – 7300/-रु (नियत)

(28.16)

(ख) लेफ्टिनेंट जनरल और समकक्ष का वेतनमान 7300-100-7600 रु. होगा।

(ग) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशक – 7600 (नियत)

(28.16)

(ग) स्वीकार कर ली गई।

(घ) (i) सह थलसेनाध्यक्ष/थलसेना कमांडर
(ii) सह वायुसेनाध्यक्ष
(iii) एयर अफसर कमांडिंग-इन-चीफ वायुसेना कमांड
(iv) सह नौसेनाध्यक्ष
(v) फ्लैग अफसर कमांडिंग-इन-चीफ आफ नौसेना कमांड

8000 रु. (नियत)

(28.17)

(घ) स्वीकार कर ली गई।

(ङ) थलसेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष और वायुसेनाध्यक्ष 9000 रु. (नियत)

(28.18)

(ङ) स्वीकार कर ली गई।

क्रम सं.	वेतन आयोग की सिफारिश	सरकार का निर्णय

3. वेतन संरचना —सैन्य परिचर्या सेवा अफसर

(क) सैन्य परिचर्या सेवा अफसरों के लिए वेतनमान :

सैन्य परिचर्या सेवा अफसरों के लिए निम्नलिखित वेतनमानों की सिफारिश की गई है :—

रैंक	प्रस्तावित वेतनमान
1. लेफ्टिनेंट	2000-60-2480 रु.
2. कैप्टन	2550-75-3150 रु.
3. मेजर	3200-100-3600 रु.
4. लेफ्टि. कर्नल	3800-100-4100 रु.
5. कर्नल	4200-100-4400 रु.
6. ब्रिगेडियर	4500-100-4800 रु.
7. मेजर जनरल	4900-100-5200 रु.

(28.20)

(क) कर्नल रैंक तक के सैन्य परिचर्या सेवा अफसर 2200-100-4200-ई.बी.-100-4500 रु. के एकीकृत वेतनमान में वेतन लेंगे। नर्सिंग में डिग्री धारक 2300 रु. के स्तर से शुरू होंगे और डिप्लोमा धारक 2200 रु. के स्तर से।

अन्य वेतनमान इस प्रकार होंगे :—

ब्रिगेडियर—4600-100-5000 रु.
मेजर जनरल—5100-150-5700 रु.
कोई रैंक वेतन नहीं मिलेगा।

(ख) सैन्य परिचर्या सेवा (स्थानीय) अफसरों का वेतनमान :

मौजूदा 540-20-700 रु. का सामान्य ग्रेड और 650-20-810 रु. का चयन ग्रेड को विलयित कर दिया जाए और उन्हें 1640-60-2600 ई.बी.-75-2900 रु. का वेतनमान दिया जाए।,

(28.21)

(ख) स्वीकार कर ली गई।

4. सैन्य प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणार्थियों के लिए वेतन :

कमीशन प्रदान किए जाने के पहले संबंधित सैन्य संस्थान में प्रशिक्षण के अंतिम 6 महीनों के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को 1500 रु. प्रतिमास की नियत राशि अदा की जाएगी। नौसेना में मिडशिपमैन को देय मौजूदा दर 560 रु. के स्थान पर अब 1500 रु. प्रतिमास की नियत राशि दी जाएगी।

(28.22)

स्वीकार कर ली गई।

5. योधी सेनांगों के लिए प्रोत्साहन :

यह सुझाव दिया गया है कि प्रोत्साहन के रूप में इंफैंट्री तोपखाना और कवचित कोरों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर अफसरों को अर्हता अनुदान मंजूर किया जाए। यह सिफारिश की जाती है कि सरकार तोपखाना इंफैंट्री और कवचित कोरों के लिए उन पाठ्यक्रमों का पता लगाए जिनके लिए अर्हता अनुदान स्वीकार किया जाएगा।

(28.23)

स्वीकार कर ली गई।

5.(क) अवरुद्धता वेतन वृद्धि

जो व्यक्ति अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच जाएं उन्हें राहत प्रदान करने के विचार से वरिष्ठ समय वेतनमान स्तर तक समूह "क" सेवाओं/पदों में सभी संवर्गों को सम्बद्ध वेतनमानों के अधिकतम वेतनमान पर हर दो वर्ष पूरा करने पर एक अवरुद्ध वेतनवृद्धि दी जाए। अधिक से अधिक ऐसी तीन वृद्धियां दी जा सकती हैं। (23.10)

5.(क) यह निर्णय किया गया है कि अवरुद्धता वेतनवृद्धि की योजना को, जिसकी वेतन आयोग ने सिफारिश की है, कतिपय शर्तों के अधीन रक्षा सेवाओं के उन अफसरों पर लागू कर दिया जाए जिनका संशोधित वेतनमान में अधिकतम वेतनमान 6700 रु. से अधिक नहीं है। विस्तृत अनुदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

क्रम सं.	वेतन आयोग की सिफारिश	सरकार का निर्णय
6.	आवास, फर्नीचर, जल और बिजली प्रभार आवास	
	(क) किराए की अधिकतम सीमा की दरों का पुनरीक्षण : यह समझा जाता है कि किराए की अधिकतम सीमा की दरों का पुनरीक्षण संबंधी मामला सरकार के विचाराधीन है। इस बीच में बम्बई और कलकत्ता के लिए किराए की अधिकतम सीमा पचास प्रतिशत तक और बढ़ाई जाए और दिल्ली एवं नई दिल्ली समेत अन्य स्थानों के लिए चालीस प्रतिशत तक बढ़ाई जाए। (28.59)	(क) स्वीकृत/बढ़ाई गई किराए की अधिकतम सीमा केवल किराए पर लेने के नए मामलों पर लागू होगी।
	(ख) युद्ध क्षेत्रों में तैनात अफसरों को राहत जब अफसर युद्ध क्षेत्रों में तैनात किए जाते हैं और यदि उनके परिवारों के पास सरकारी आवास/किराए पर लिया गया आवास नहीं होता है, तो उन्हें राहत निम्नलिखित दरों पर दी जाए :— 1. सेकण्ड लेफ्टिनेंट/लेफ्टि./कैप्टन और इनके समकक्ष — प्रतिमाह 150 रु. 2. मेजर और इनके समकक्ष — प्रतिमाह 200 रु. 3. लेफ्टिनेंट कर्नल और इनके समकक्ष तथा इनसे ऊपर — प्रतिमाह 300 रु. (28.61)	स्वीकार कर ली गई।
7.	परिधान भत्ता	
	(क) थलसेना, नौसेना और वायुसेना अफसर इस सुझाव के लिए कुछ औचित्य है कि सैन्य वर्दियों पर होने वाले सारे व्यय की रक्षा सेनाओं के अफसरों को उसी तरह प्रतिपूर्ति की जाए जिस तरह से अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों को की जाती है। सरकार इस संबंध में निर्णय ले सकती है। अफसरों के लिए प्रारम्भिक परिधान भत्ते की दरें निर्धारित किए जाने तक ये दरें थलसेना और वायुसेना अफसरों के लिए 3000/-रु. और नौसेना अफसरों के लिए 3500 रु. नियत रहेंगी। प्रारम्भिक परिधान भत्ता और नवीकरण परिधान भत्ता की दरों के बीच कोई अंतर नहीं होगा।	(क) जब तक सरकार यह निर्णय करती है कि अफसरों को सैन्य वर्दियों पर होने वाले पूरे व्यय की प्रतिपूर्ति की जाए, या नहीं, तब तक वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार वर्दी भत्ता की दरें लागू रहेंगी।
	(ख) महिला चिकित्सा अफसर—महिला चिकित्सा अफसरों को प्रारम्भिक परिधान भत्ता और नवीकरण परिधान भत्ता उसी दर से मंजूर किया जाए जिस दर से थलसेना और वायुसेना के अफसरों को दिया जाता है। (28.73)	(ख) स्वीकार कर ली गई।
	(ग) सैन्य परिचर्या सेवा अफसर—सैन्य परिचर्या सेवा अफसरों (नियमित और स्थानीय—दोनों) के लिए प्रारम्भिक परिधान भत्ता और नवीकरण परिधान भत्ता की राशि 1000/-रु. होगी।	(ग) स्वीकार कर ली गई
	(घ) नौसेना अकादमी कैडेट—कैडेटों के लिए प्रारम्भिक परिधान भत्ता बढ़ाकर 3000 रु. कर दिया जाए। 50% भत्ता प्रशिक्षण पोत में पहुंचने पर दिया जाए और शेष भाग कार्यकारी सब-लेफ्टिनेंट के रूप में पदोन्नत होने पर दिया जाए।। (28.75)	(घ) स्वीकार कर ली गई।

क्रम सं.	तन आयोग की सिफारिश	सरकार का निर्णय
8.	किट अनुरक्षण भत्ता : महिला चिकित्सा अफसरों समेत थलसेना, नौसेना और वायुसेना के सभी अफसरों को किट अनुरक्षण भत्ता 100/-रु. प्रतिमाह की दर से दिया जाए। सैन्य परिचर्या सेवा अफसरों (नियमित और स्थानीय—दोनों) को किट अनुरक्षण भत्ता 50 रु. प्रतिमाह की दर से दिया जाए। (28.76)	स्वीकार कर ली गई।
9.	सैन्य परिचर्या सेवा के अफसरों को वर्दी भत्ता अनुशंसित दरें इस प्रकार हैं :— विवरण : (1) एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानान्तरण होने पर सैन्य परिचर्या सेवा के अफसरों को स्वीकार्य विशिष्ट वर्दी भत्ते (एक बार अदायगी) (100 रु०) (2) कमान और थलसेना मुख्यालय में नियुक्ति होने पर सैन्य परिचर्या सेवा अफसरों को स्वीकार्य विशेष भत्ता (एक बार अदायगी) 600 रु. (28.77)	स्वीकार कर ली गई।
10.	यात्रा भत्ता :	
	(क) आनरेरी कमीशन प्राप्त अफसरों को छोड़कर, लेफ्टिनेंट कर्नल और उससे नीचे के सेना अफसरों को अस्थाई ड्यूटी पर रहने के दौरान दूसरे दर्जे के वातानुकूलित कुर्सीयान-2 टीयर से भी यात्रा करने की अनुमति दी जाए।	(क) इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई कि आनरेरी कमीशन प्राप्त अफसरों को भी अस्थायी ड्यूटी पर रहने के दौरान दूसरे दर्जे के वातानुकूलित कुर्सीयान 2-टीयर से यात्रा करने की अनुमति होगी।
	(ख) लेफ्टि. जनरल और उनके समकक्ष रैंक के अफसरों को भारत के अंदर हवाई यात्रा के लिए इक्ज़ीक्यूटिव क्लास से यात्रा करने की अनुमति दी जाए।	(ख) स्वीकार कर ली गई।
	(ग) सरकार ने अप्रैल, 1986 में सैन्य अफसरों के लिए उन्हीं आदेशों के आधार पर स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ते की हकदारी को संशोधित किया है जो सिविलियन कर्मचारियों के लिए लागू होते हैं। सिविलियन कर्मचारियों को स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता के बारे में की गई सिफारिशें सैन्य अफसरों के लिए भी लागू की जाएं। विवाहित और अविवाहित अफसरों के बीच का मौजूदा अंतर बनाए रखा जाए। (28.79)	(ग) स्वीकार कर ली गई।
11.	दैनिक भत्ता : सैन्य अफसरों को दौरे, शिक्षण-पाठ्यक्रमों और अस्थाई ड्यूटी पर जाने के लिए वह दैनिक भत्ता लागू किया जाए जो सिविल कर्मचारियों के लिए की गई सिफारिशों में मंजूर किया गया है। (28.81)	स्वीकार कर ली गई।
12.	पिछले ड्यूटी स्टेशन तक अतिरिक्त यात्रा : तैनाती के नए स्थान पर आवास उपलब्ध न होने की स्थिति में यदि अफसर को अपना परिवार पिछली ड्यूटी वाले स्थान पर ही छोड़ना पड़ जाता है तो उसे अपने पिछली ड्यूटी के स्टेशन तक आने-जाने के लिए उसकी हकदारी श्रेणी का अतिरिक्त किराया/निःशुल्क वारंट दिया जाए। (28.89)	स्वीकार कर ली गई।
13.	राशन : सरकार ने शांति क्षेत्रों में भी ब्रिगेडियर और समकक्ष रैंक तक के अफसरों के लिये भी मुफ्त राशन की सुविधा लागू की है। यह सुविधा ब्रिगेडियर और उसके समकक्ष रैंक से उच्च रैंक के अफसरों को भी मिलनी चाहिये। (28.85)	स्वीकार कर ली गई।

क्रम सं.	वेतन आयोग की सिफारिश	सरकार का निर्णय
14	**वियुक्ति भत्ता (शांति-क्षेत्र) :** मेजर जनरल और उनसे उच्च तथा समकक्ष रैंक के अफसरों को स्वीकार्य 200 रु. प्रतिमाह का मौजूदा वियुक्ति भत्ता (शांति क्षेत्र) खत्म कर दिया जाये। (28.88)	स्वीकार कर ली गई।
15.	**तकनीकी वेतन :** तकनीकी शाखों में अफसरों की कमी को ध्यान में रखते हुए तकनीकी वेतन की मंजूरी की बनाए रखने की जरूरत है ताकि तकनीकी स्नातकों को तीनों सेनाओं में भर्ती होने के लिए आकृष्ट किया जा सके। सरकार समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करती रहेगी और उन शाखों/कोरों तथा पाठ्यक्रमों/अर्हताओं को नियत करेगी जिनके लिये तकनीकी वेतन स्वीकार्य होना चाहिये। कतिपय निर्धारित पाठ्यक्रमों के पूरा हो जाने पर तकनीकी वेतन मंजूर करने की शर्त को हटाना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यद्यपि सरकार समय-समय पर तकनीकी वेतन की राशि की पुनरीक्षा करेगी फिर भी, अगली पुनरीक्षा होने तक वर्तमान दरों को पचास प्रतिशत तक बढ़ाया जाये। (28.90)	स्वीकार कर ली गई।
16	**अर्हता अनुदान :** अर्हता अनुदान उन अर्हताओं को प्राप्त करने और पाठ्यक्रम परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने पर दिया जाये जो सरकारी कार्य के लिये लाभकर और संगत मानी जाएं। अतः सरकार उन विभिन्न पाठ्यक्रमों की समय-समय पर पुनरीक्षा करती रहेगी जिनके लिये अर्हता अनुदान देय है ताकि उसको आगे बनाए रखने की आवश्यकता का निर्धारण किया जा सके। जहां तक अर्हता अनुदान की राशि मंजूर करने का संबंध है, मौजूदा दरों को 25% तक बढ़ा दिया जाये। यह भी सिफारिश की जाती है कि जज एडवोकेट जनरल विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिये पुरस्कार की राशि को 1000 रु. से बढ़ा कर 1600 रु. कर दिया जाये। (28.91)	स्वीकार कर ली गई।
17.	**सेना चिकित्सा कोर/सेना दन्त चिकित्सा कोर के लिये विशेषज्ञ वेतन** सेना चिकित्सा कोर/सेना दन्त चिकित्सा कोर के अफसरों के लिये विशेषज्ञ वेतन निम्नलिखित संशोधित दरों के अनुसार दिया जाये :— (क) ग्रेड विशेषज्ञ 400/- रु. (ख) अर्हीकृत विशेषज्ञ 500/- रु. (ग) प्रोफैसर/परामर्शदाता/सलाहकार 600/- रु. (28.92)	स्वीकार कर ली गई।
18.	**युद्ध-क्षेत्र सेवा रियायतें :** युद्ध क्षेत्र सेवा रियायतें मंजूर करने के लिये क्षेत्रों के मौजूदा वर्गीकरण का सरकार द्वारा पुनरीक्षण किया जाये। सरकार युद्ध क्षेत्र सेवा रियायत देने का निर्णय भी ले सकती है जो कि संबंधित क्षेत्रों में असैनिक कर्मचारियों के लिये सुझाये गये विशेष प्रतिपूर्ति भत्तों को ध्यान में रखते हुए देय होना चाहिये। (28.98)	देय रियायतों के बारे में पुनरीक्षण किये जाने और निर्णय होने तक, युद्ध क्षेत्र सेवा-रियायत की मौजूदा दरें लागू रहेंगी।
19	**उड़ान वेतन :** उड़ान शाखा में अफसरों के लिये उड़ान वेतन की निम्नलिखित दरों की सिफारिश की जाती है :— वर्ग — उड़ान वेतन की प्रस्तावित दर (रु. प्रति माह) (1) ग्रुप कैप्टन रैंक तक — 1200/- रु. (2) ग्रुप कैप्टन से उच्च रैंक के अफसर — 900/- रु. उड़ान वेतन की मंजूरी के लिये वर्तमान शर्तें आगे भी लागू होती रहेंगी। उड़ान वेतन की ये दरें नौसेना के नौसेना विमानन शाखा के अफसरों के लिये भी लागू होंगी। (28.100)	स्वीकार कर ली गई। उड़ान वेतन की ये बढ़ी हुई दरें थल सेना के हवाई प्रेक्षण पोतों पायलटों के लिये भी लागू होंगी।

*क्रम सं. वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
20. पनडुब्बी वेतन : पनडुब्बी वेतन की दरें उड़ान वेतन के समतुल्य होनी चाहियें। कप्तान रैंक तक के अफसरों को पनडुब्बी वेतन 1200/- रु. की दर से दिया जाये। उड़ान वेतन के अनुरूप ही; पनडुब्बी वेतन तब तक दिया जाता रहे जब तक कि कोई अफसर पनडुब्बी शाखा में तैनात रहता है। पनडुब्बी वेतन की मंजूरी की अन्य सभी शर्तें वर्तमान शर्तों के अनुसार जारी रखी जायें। (28.101 और 28.102)	स्वीकार कर ली गई।
21. पनडुब्बी भत्ता : गैर पनडुब्बी संवर्ग अफसर जब प्रशिक्षण/अभ्यास और परीक्षण के प्रयोजन के लिये पनडुब्बी शाखा में तैनात किये जायें तो उन्हें किसी मासिक अधिकतम सीमा के बिना 15/- रु. प्रति दिन के हिसाब से यह भत्ता अदा किया जाये। (28.102)	स्वीकार कर ली गई।
22. कठिन परिस्थिति में काम करने का भत्ता : अफसरों के लिये कठिन परिस्थितियों में काम करने का भत्ता 100/- रु. प्रति माह तक पुनरीक्षित किया जाये। पूर्ण/आंशिक दरों पर कठिन परिस्थितियों में काम करने का भत्ता मंजूर करने के लिये पोतों का वर्तमान वर्गीकरण जारी रखा जाए (28 103)	स्वीकार कर ली गई।
23. गोताखोरी भत्ता/डिप मनी : गोताखोरी भत्ते की मौजूदा दरों को नीचे दिए अनुसार संशोधित किया जाए :— (क) क्लियरेंस गोताखोर अफसर 200/- रु. प्रति माह (ख) पोत गोताखोर अफसर 100/- रु. प्रति माह "डिप मनी" की वर्तमान दरें दुगुनी होनी चाहिए। (28.104)	स्वीकार कर ली गई।
24. सर्वेक्षण इनाम (बाउण्टी)/वेतन : वार्षिक सर्वेक्षण इनाम (बाउण्टी) के स्थान पर मासिक सर्वेक्षण वेतन दिया जाए जो निम्नलिखित दरों पर उन अफसरों को देय होगा जो अफसर सर्वेक्षण संवर्ग के हैं और वास्तविक रूप से सर्वेक्षण कार्यों पर लगाये गये हैं :— (क) सर्वेक्षण वर्ग-IV 200/- रु. प्रति माह (ख) सर्वेक्षण वर्ग-III 250/- रु. प्रति माह (ग) सर्वेक्षण वर्ग-II 300/- रु. प्रति माह (घ) सर्वेक्षण वर्ग-I 350/- रु. प्रति माह (ङ) कार्यभार (चार्ज) सर्वेक्षण 350/- रु. प्रति माह सर्वेक्षण पोतों पर सेवारत गैर-सर्वेक्षण अफसरों को सर्वेक्षण वेतन की न्यूनतम दर का 50 प्रतिशत मंजूर किया जाये। (28.106)	स्वीकार कर ली गई।
25. अन्य भत्ते : अन्य भत्तों के संबंध में निम्नलिखित दरों की सिफारिश की गई है :— भत्तों का नाम — दरें (रुपयों में) (1) दाह-संस्कार भत्ता — 500/- (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर यूनिटों में तैनात अफसरों के लिये प्रशिक्षण शिविर भत्ता — प्रशिक्षण शिविर भत्ता हटा दिया जाये और अफसरों को अपने दैनिक भत्ते का एक चौथाई भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाये। (3) पैरा वेतन (थलसेना) — 150/- रु. प्रतिमाह (4) पैरा आरक्षित वेतन (थलसेना) — पैरा वेतन का 50 प्रतिशत (5) विशेष कमांडो भत्ता (थल सेना) — 350/- रु. प्रतिमाह (6) टैस्ट पायलट भत्ता (वायुसेना/नौसेना) — उड़ान वेतन का एक तिहाई (7) "पैरा जम्प" प्रशिक्षक वेतन — 300/- रु. प्रतिमाह इन भत्तों की मंजूरी की वर्तमान शर्तें जारी रखी जायें। (28.108)	स्वीकार कर ली गई (मद (2) से (6) तक)

क्रम सं.	वेतन आयोग की सिफारिश	सरकार का निर्णय
26.	परियोजना भत्ता : परियोजना भत्ता उन सैन्य अफसरों को भी दिया जायेगा जो रक्षा मंत्रालय के अधीन किसी संगठन की किसी परियोजना को छोड़कर किसी अन्य संगठन में प्रतिनियुक्ति पर हों और उन अफसरों को प्रतिनियुक्ति पर माना गया हो और वे किसी भी प्रकार का युद्ध क्षेत्र-सेवा-भत्ता लेने के हकदार न हों। (28.109)	स्वीकार कर ली गई
27.	भत्ते, रियायतें और सुविधायें : महंगाई भत्ता और बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता जैसे कुछ भत्ते वही हैं जो असैनिक कर्मचारियों के लिये हैं और संबंधित अध्यायों में हमारी सिफारिशें सशस्त्र सेना कार्मिक पर भी लागू होंगी। (28.55)	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के 13-3-87 के संकल्प सं० 14(2)-आई सी/86 के अन्तर्गत दर्शाई गई सीमा तक स्वीकृत।
28.	वेतन निर्धारण : चतुर्थ वेतन आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 30 में सिविलियन कर्मचारियों के लिये अनुशासित वेतन निर्धारण की पद्धति सशस्त्र सेनाकार्मिकों के लिये भी लागू की जाये। चूंकि रैंक वेतन ब्रिगेडियर और उसके समकक्ष रैंक तक के अफसरों के लिये एक पृथक घटक (एलीमेंट) है इसलिये एकीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारित करते समय उसे हिसाब में लिया जाये। (28.113)	स्वीकार कर ली गई
29.	लागू होने की तारीख :	
	(1) सिफारिश किये गये वेतनमानों का लाभ चालू वित्तीय वर्ष के शुरू से देना प्रशासनिक दृष्टि से सुविधाजनक होगा।	(1) वेतनमानों के संबंध में दी गई सिफारिशों पर निर्णय पहली जनवरी, 1986 से लागू किया जायेगा। जनवरी से मार्च, 1986 तक शुद्ध बकाया राशि अफसरों के भविष्य निधि लेखे में जमा कर दी जायेगी।
	(2) अन्य मामलों पर दी गई सिफारिशों के संबंध में उन्हें उपयुक्त तारीख से लागू करने के बारे में प्रशासनिक और लेखा संबंधित कार्यों सहित सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को निर्णय लेना होगा।	(2) लागू होने की तारीख संगत सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट कर दी जायेगी।

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 18th March, 1987

RESOLUTION

No. 1(E) :—The decisions of the Government of India on the recommendations of the Fourth Pay Commission relating to personnel below officer rank of the Armed Forces were notified in the Ministry of Defence Resolution No. 1-E dated 4th October, 1986. Government have now given careful consideration to the recommendations of the Commission relating to structure of emoluments and allowances of Commissioned Officers and have decided that recommendations of the Commission in respect of these shall be accepted broadly, subject to the modifications mentioned below :—

I. Pay Scales

(i) Integrated pay scale for officers upto the rank of Brigadiers (including AMC, ADC and RVC Officers, but, excluding Military Nursing Service Officers) and equivalent in the Navy and the Air Force would be Rs. 2300–100–3900–150–4200-EB-150–5100. In addition to pay in the integrated scale. rank pays will be admissible as under :—

Rank	Amount of Rank Pay (Rs. per months)
Captain and equivalent	200
Major and equivalent	600
Lt Col (Selection) and equivalent	800
Colonel and equivalent	1000
Brigadier and equivalent	1200

(ii) Officers commissioned in the AMC as Lieutenants will start at the stage of Rs. 2600/-; those appointed as Captains will start at Rs. 2700. Officers commissioned as Lieutenants in ADC and RVC will start a Rs. 2600.

(iii) Lt Gen & equivalent — Rs.7300–100–7600

(iv) MNS Officers upto the rank of Colonel will have an integrated pay scale of Rs. 2200–100–4200-EB-100-4500. Degree holders in Nursing will start at the satage of Rs. 2300 and Diploma holders will start at Rs. 2200/-. Pay scale of Brigadier will be Rs. 4600–100–5000 and that of Maj General will be Rs. 5100–150–5700. There will be no rank pay for MNS Officers.

II. Recommendations relating to other matters.

(i) It has been decided to extend the scheme of stagnation, increment, recommended by Pay Commission, to officers of the Defence Services maximum of whose pay scale does not exceed Rs. 6700 in the revised scale subject to certain conditions.

(ii) The recommendations of the Commission relating to fixation of pay, grant of allowances, date of effect, etc, shall be accepted broadly after extending, wherever applicable, to Service Officers, the improvements which have been accepted in regard to personnel below officer rank.

2. In view of the need for containing inflationary trends, Government hope that Service Officers will voluntarily make a special deposit of the arrears of pay on account of the above decisions for the period beyond March, 1986, also in their provident fund account.

3. The decisions taken by the Government accordingly on the various recommendations of the Commission in respect of Service Officers are indicated in the statement annexed to this Resolution.

4. The recommendations made by the Commission, which are not included in the Annexure are being a examined by the Government and decisions thereon will be notified separately.

V.N. BAHADUR, Jt. Secy.

Statement Showing the Recommendations of the Fourth Central Pay Commission Relating to Armed Forces Officers and Government Decisions thereon (Figures Referred in Parenthesis Pertain to Chapters and Paragraphs of the Pay Commission Report.

Serial No.	Recommedations of the Pay Commission	Decisions of the Government
1	2	3
1.	Pay Structure—Service Officers upto the rank of Brigadier & equivalent	
(a)	Integrated Pay Scale—An integrated pay scale of Rs. 2300-100–4200-EB-100–5000 is recommended for all officers upto the rank of Brigadier and equivalent in the three Services including officers in the specialised cadres of AMC, ADC and RVC. (28.12 and 28-14)	(a) Accepted with improvement as under:— Rs. 2300–100–3900–150–4200 E-B-150–5100
(b)	Rank Pay—In addition to pay in the integrated sacle, the following rank pays may be given to officers in the Army and their equivalent in the other Services:—	(b) Accepted with improvement as under:

Rank	Amount of Rank Pay (Rs. p.m.)	Rank	Amount of Rank Pay (Rs. p.m.)
1. Captain and equivalent	200	Capt and equivalent	200
2. Major and equivalent	400	Major and equivalent	600
3. Lt Col (Selection and equivalent)	600	Lt Col (Selection)	800
4. Colonel and equivalent	800	and equivalent	
5. Brigadier and equivalent	1200	Colonel and equivalent	1000
		Brigadier and equivalent	1200

In Navy, a Captain, on completion of three years' service in that rank, will draw the rank pay of Rs. 1200 p.m. recommended for Brigadier (28.13)

Serial No.	Recommendations of the Pay Commission	Decisions of the Government
1	2	3

(c) Pay for entrants to AMC, ADC and RVC-Entrants to AMC, ADC and RVC may be given pay as indicated below, in the integrated scale :—

	AMC	ADC	RVC
	Rs.	Rs.	Rs.
1. Interns	2500	2400	2400
2. Registered	2600	2500	2500

(28.19)

(c) Pay of entrants to AMC, ADC and RVC will be as below:—

	AMC	ADC	RVC
*Lieutenants	Rs.	Rs.	Rs.
	2600	2600	2600
Captain	2700	—	—

*(In ADC and RVC, Registered Doctors are commissioned as Lieutenants.)

(d) Regulation of Efficiency Bar—There should be periodic reviews for those constituting the non-select stream so that such of them who can no longer be useful are not allowed to continue in the integrated pay scale upto the prescribed ages of retirement. Government should review the existing rules relating to selection procedure and premature retirement of officers so that at the E.B. stage officers who do not make the grade are not continued in service (28.15)

(d) Accepted.

(e) Abolition of Selection Grades—The existing Slection Grades in the ranks of Major and equivalent and Lt . Colonel and equivalent be abolished (28.14).

(e) Accepted.

2. Pay Scale for Major Generals and equivalent and above.

(a) Major General and equivalent—Rs. 5900-200-6700- (28.16)

(a) Accepted.

(b) Lieutenant General equivalent—Rs. 7300 (fixed) (28.16)

(b) Lt General and equivalent will have a pay scale of Rs. 7300–100–7600.

(c) DGAFMS — 7600/-(Fixed) (28.16)

(c) Accepted.

(d) (i) Vice Chief of Army Staff/Army Commanders
(ii) Vice Chief of Air Staff
(iii) Air Officer Commanding-in-Chief of Air Commands
(iv) Vice Chief of Naval Staff
(v) Flag Officer Commanding-in-Chief of Naval Comands (28.17)

Rs. 8000/- (Fixed)

(d) Accepted.

(e) Chief of Army Staff
Chief of Naval Staff
and
Chief of Air Staff

Rs. 9000/- (fixed) (28.18)

(e) Accepted.

3. Pay Structure—MNS Officers

(a. Pay Scales for NS Officers— the following pay scales are recommended for MNS Officers:—

Rank	Proposed Pay Scale
1. Lieutenant	Rs. 2000–60–2480
2. Captain	Rs. 2550—75—3150
3. Major	Rs. 3200—100—3600
4. Lieutenant Colonel	Rs. 3800—100—4100
5. Colonel	Rs. 4200—100—4400
6. Brigadier	Rs. 4500–100–4800
7. Major General	Rs. 4900—100—5200

(28.20)

(a) MNS Officers up to the rank of Colonel will draw pay in the integrated pay scale of Rs. 2200–100–4200-EB-100–4500. Degree holders in Nursing will start at the stage of of Rs. 2300, and Diploma holders will start at Rs. 2200. Other pay scales will be:
Brigadier—Rs. 4600—100—5000
Major General—Rs. 5100–150–5700.
There will be no Rank Pay.

Serial No.	Recommendations of the Pay Commission	Decisions of the Government
1	2	3
	(b) Pay Scales MNS (Local) Officers—The existing ordinary grade of Rs. 540–20–700 and the Selection Grade of Rs. 650–20–810 may be merged and given the scale of Rs. 1640–60–2600 -EB-75–2900. (28.21)	(b) Accepted.
4.	Pay for Trainees in Service Training Institutions During last 6 months of training at the respective Service Institutions prior to being commissioned the Trainees may be paid a fixed amount of Rs. 1500 p.m. This will also be admissible to Midshipman in the Navy in place of the existing rate of Rs. 560. (28.22)	Accepted.
5.	Incentive for Combat Arms—It has been suggested that by way of incentive, Qualification Grant may be given to Officers on passing the specified courses for Infantry, Artillery and Armoured Corps. It is recommended that Government may identify the courses for Artillery, Infantry and Armoured Corps which would qualify for sanction of Qualification Grant. (28.23)	Accepted.
5-A.	Stagnation increment—In order to provide relief to those who reach the maximum of their pay scale, one stagnation increment on completion of every two years at the maximum of the respective scales may be granted to all cadres in Group 'A' Services/Posts upto the Senior Time Scale Level. A maximum of three such increments may be allowed. (23.10)	5.A It has been decided to extend the scheme of stagnation increment, recommended by Pay Commission, to officers of the Defence Services maximum of whose pay scale does not exceed Rs. 6700 in the revised scale subject to certain conditions. Detailed instructions will be issued separately.
6.	Accommodation, Furniture, Water and Electricity Charges Accommodation :	
	(a) Revision of Rates of Rental Ceillings : It is understood that the matter regarding revision of rental ceilings is under examination of Government. In the meantime, the rental ceiling for Bombay and Calcutta may be increased by fifty per cent, and for other stations including Delhi and New Delhi by forty per cent. (28.59)	(a) Accepted. The enhanced rental ceilings will apply to fresh hirings only.
	(b) Relief to Officers posted to Field areas : Where officers are posted to field areas and their families are not occupying Govt. owned/hired accommodation, relief may be provided at the following rates :— 1. Second Lt/Lt /Captain and equivalent Rs. 150 p.m. 2. Major and equivalent . Rs. 200 p.m. 3. Lt. Col and equivalent and above Rs. 300 p.m. (28.61)	(b) Accepted.
7.	Outfit Allowance :	
	(a) Army, Naval & Air Force Officers : There is some justification for the suggestion that the entire expenditure on service uniforms may be reimbursed to officers of the Defence Forces as is being done for personnel below	(a) Until the Govt. decides whether the entire cost of service uniforms should be remibursed to the Officers, the

Serial No.	Recommendations of the Pay Commission	Decisions of the Government
1	2	3
	officer rank. Govt. may take a decision in the matter. Until then, the rates of Initial Outfit Allowance for Service Officers may be fixed at Rs. 3000 for Army and Air Force and Rs. 3500 for Navy. There may be no difference between the rates of Initial Outfit Allowance and Renewal Outfit Allowance. (28.72)	rates of outfit allowance recommended by the Pay Commission will apply.
	(b) Lady Medical Officers—Lady Medical Officers may be granted Initial Outfit Allowance and Renewal Outfit Allowance at the same rates as applicable to officers in Army and Air Force. (28.73)	(b) Accepted.
	(c) MNS Officers—For Officers of the MNS (both regular and local), the amount of Initial Outfit Allowance and Renewal Outfit Allowance may be Rs. 1000 (28.74)	(c) Accepted.
	(d) Cadets in Naval Academy—The Initial Outfit Allowance for the Cadets may be Increased to Rs. 3000, 50 per cent being paid on joining the training-ship and balance on promotion as Acting Sub. Lt. (28.75)	(d) Accepted.
9.	Kit Maintenance Allowance—KMA may be paid at Rs. 100 p.m. to all officers in Army, Navy and Air Force, including Lady Medical Officers. KMA may be paid at the rate of Rs. 50 p.m. to MNS Officers, (both regular and local). (28.76).	Accepted.
9.	Uniform Allowance to MNS Officers : The recommended rates are as under :— Description : (i) Distinctive uniform allowance admissible to MNS Officers on transfer from one Service to another (one-time payment). Rs. 100 (ii) Special Allowance admissible to MNS Officers for appointment at Command and Army HQ (One-time payment). Rs. 600 (28.77)	Accepted.
10.	Travelling Allowance	
	(a) Service officers of the rank of Lt. Col. and below, excepting Honorary Commissioned Officers, may be allowed to travel by 2nd ACC 2-tier also while on temporary duty.	(a) Accepted, with the modification that Honorary Commissioend Officers will also be allowed to travl by AC 2-tier while on temporary duty.
	(b) Officers of the rank of Lt. General and equivalent may be allowed to travel by Executive Class for air journeys within India.	(b) Accepted.
	(c) Govt. have revised the transfer TA entitlement for Service Officers in April 1986 on the basis of similar orders applicable to civilian employees. The recommendations in regard to TA on transfer to Civilian employees may be extended to service Officers also. The existing differential between married and single officers may be continued. (28.79)	(c) Accepted.

Serial No.	Recommendations of the Pay Commission	Decisions of the Government
1	2	3
11.	Daily Allowance — In the matter of grant of Daily Allowance to Service Officers proceeding on tour, courses of instruction and temporary duty, the recommendations made for civilian employees may be extended to them. (28.81)	Accepted
12.	Additional Journey to Previous Duty Station—An additional fare/free Warrant by the entitled-class for both onward and return journey may be allowed for journey to the previous duty station in case the officer has to leave the family behind due to non-availability of accommodation at the new station of posting. (28.89)	Accepted
13.	Rations — The facility of free rations has been extended by Govt. in peace areas also to officers upto the rank Brigadier and equivalent. This facility should be admissible to officers above the rank of Brigadier and equivalent also. (28.85)	Accepted
14.	Separation Allowance (Peace) The existing Separation Allowance (Peace) of Rs. 200/- p.m. admissible to Officers of the rank of Major General and above and equivalent may be discontinued. (28.88)	Accepted
15.	Technical Pay—Keeping in the shortage of officers in the technical branches, there is need for continuance of grant of Technical Pay to attract technical graduates to the three Services. Government may review the position from time to time and decide the Branches/Corps and the courses/qualifications for which Technical Pay should be admissible. Delinking the grant of Technical Pay from completion of certain specified Courses cannot be agreed to. Whilst the quantum of Technical Pay may be reviewed by Government from time to time, the existing rates may be increased by fifty per cent till the next review. (28.90)	
16.	Qulification Grant — Qualification Grant should be payable for acquiring qualifications and on passing courses which are considered beneficial and relevant for official duties. Government may therefore periodically review the various courses for which the Qualification Grant is payable to determine the need for continuance. As regard the amount of Qualification Grant, the existing rates may be increased by 25%. It is also recommended that reward for passing Judge Advocate General departmental examinations may be increased from Rs. 1000 to Rs. 1600.	Accepted
17.	Specialist Pay for Army Medical Corps/Army Dental Corps Specialist Pay for officers of the AMC and ADC may be given at the following revised rates :— Rs. (a) Graded Specialist 400 (b) Classified Specialist 500 (c) Professor/Consultant/Advisor 600 (28.92)	Accepted
18.	Field Service Concessions—The existing Classification of areas for the grant of Field Service Concessions may be reviewed by the Government. The Government may also decide the Field	Pending the review and the decision on the concessions which should be admissible, the existing rates of Field

Serial No.	Recommendations of the Pay Commission	Decisions of the Government
1	2	3
	Service Concessions which should be admissible taking into account the Special Compensatory Allowances recommended for the civilian employees in the concerned areas. (28.98)	Service Concessins will continue.
19.	Flying Pay — The following rates of Flying Pay for Officers in the Flying Branch are recommended :— (i) Upto Group Captain — Proposed rate of Flying Pay (Rs. p.m.) 1200 (ii) Above Group Captain — 900 Existing conditions for grant of Flying Pay may continue to be applicable. The rates of Flying Pay will also be applicable to officers of the Naval Aviation Branch of Navy. (28.100)	Accepted. The enhanced rates of flying pay will apply also to AOP Pilots of the Army.
20.	Submarine Pay — Rates of Submarine Pay may be at par with the Flying Pay. Officers upto the rank of Captain may be paid Submarine Pay at the rate of Rs. 1200. On the analogy of Flying Pay, Submarine Pay may continue to be paid so long as an officer is posted in the Submarine Branch. All other conditions for grant of Submarine Pay may continue as at present. (28.101 and 28.102)	Accepted.
21.	Submarine Allowance — Non-submarine cadre officers when attached to Submarine Branch for purposes of training/exercise and trials be paid submarine allowance at Rs. 15 per day, without any monthly ceiling. (28.102)	Accepted.
22.	Hardlying Money — Rate of Hardlying Money for the officers may be revised to Rs. 100 per month. The existing classification of ships for grant of Hardlying Money at full/half rates may Continue. (28.103)	Accepted
23.	Diving Allowance/Dip Money —The existing rates of Diving Allowance may be revised as under :— (a) Clearance Diving Officers — Rs. 200 p.m. (b) Ship Diving Officers — 100 p.m. The existing rate of Dip Money may be doubled. (28.104)	Accepted
24.	Survey Bounty/Pay — The annual Survey Bounty may be replaced by monthly Survey Pay which would be payable at the following rates to officers who belong to Survey Cadre and are actually engaged in survey duties:— (a) Surveyor Class IV — Rs. 200 p.m. (b) Surveyor Class III — Rs. 250 p.m. (c) Surveyor Class II — Rs. 300 p.m. (d) Surveyor Class I — Rs. 350 p.m. (e) Charge Surveyor — Rs. 350 p.m. Non-survey officers serving on board survey ships may be granted 50% of the lowest rate of Survey Pay. (28.106)	Accepted

Serial No.	Recommendations of the Pay Commission	Decisions of the Government
1	2	3
25.	Other Allowances Recommended rates of other allowances are : Name of Allowance — Rate (Rs.) (i) Funeral Allowance — Rs. 500 (ii) Training Camp allowance for officers posted in NCC Units. — Training Camp Allowance may be abolished and Officers permitted to draw one-fourth of Daily Allowance. (iii) Para Pay (Army) — Rs. 150 p.m. (iv) Para Reserve Pay (Army) — 50 per cent of para pay. (v) Special Commando Allowance (Army) — Rs. 350 p.m. (vi) Test Pilot Allowance (Air Force/Navy) — One third of the Flying Pay. (vii) Para Jump Instructor Pay — Rs. 300 p.m. Existing conditions governing grant of these allowances may continue. (28.108)	Accepted
26.	Project Allowance — Project Allowance may be extended to the Service Officers if they are deputed to a project in organisations other than those under the Ministry of Defence and the Officers are treated as on deputation and are not eligible for any Field Service Concessions. (28.109)	Accepted
27.	Allowances, Concessions and Benefits—Some of the allowances like Dearness Allowance and educational assistance for children are the same as for the civilian employees and our recommendations in the relevant Chapters will apply to Armed Forces Personnel also. (28.55)	Accepted to the extent shown in Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure Resolution No. F. 14(2)/IC/86 dated 13-3-1987.
28.	Fixation of Pay — Method of fixation of pay recommended for civilian employees in Chapter 30 of the Report should also be applied to the Armed Forces. Since Rank Pay is a separate element for officers upto the rank of Brigadier and equivalent, the same may be taken into account while fixing pay in the integrated scale of pay, (28.113)	Accepted
29.	Date of Effect (i) It would be administratively convenient to give the benefits of the scales of pay recommended from the beginning of the current financial year	(i) The decision on the recommedation relating to Pay Scales shall be made applicable w.e.f. 1-1-1986. The net amount of arrears for the period January to March 1986, will be deposited in the Provident Fund Accounts of the officers.
	(ii) In regard to recommendations on other matters, Government will have to take specific decisions to give effect to them from a suitable date, keeping in view all relevant aspects, including the administrative and accounting work.	(ii) The date of effect will be specified in the relevant Government orders.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987